राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

लिंक रोड नं. 3 पत्रकार कॉलोनी के सामने
भोपाल, मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./शिशु स्वास्थ्य पोषण/2024/3467 **भोपाल, दिनांक 26/6/2024**

//आदेश//

विषयांतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल से प्राप्त पत्र AIIMS/BPL/PEDIA/2024/401 दिनांक 06.06.2024 अनुसार, एम्स भोपाल में आयोजित साक्षात्कार में स्मार्ट यूनिट हेतु निम्न संविदा चिकित्सा अधिकारी का चयन किया गया है :-

क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पद नाम	पदस्थापना स्थल	मासिक मानदेय	पर्यवेक्षक अधिकारी
1.	डॉ. विनय तनवर	चिकित्सा अधिकारी	एम्स भोपाल	रू. 65,000/- (पैंसठ हजार रूपये मात्र)	विभागाध्यक्ष शिशु रोग विभाग, एम्स भोपाल

चयनित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने दस्तावेज की मूलप्रति एवं छायाप्रति के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय जिला भोपाल में उपस्थित हो ताकि दस्तावेजों का सत्यापन कर नियमानुसार अनुबंध संबंधी कार्यवाही की जा सके।

संविदा अधिकारी की सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी

- **संविदा अधिकारी की संविदा नियुक्ति दिनांक 31 मार्च 2025 तक के लिए होगी।**
- संविदा अधिकारी को आदेश दिनांक के 15 दिवस के भीतर कार्य पर उपस्थित होना होगा।
- संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।
- संविदा पद पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी के साथ म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित राशि के गैर न्यायिक बंद पत्र पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।
- उपरोक्त अनुबंध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. के प्राधिकृत अधिकारी एवं संविदा पद पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के मध्य निष्पादित किया जायेगा। अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय उक्त संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा वहन किया जायेगा।
- संविदा अधिकारी/कर्मचारी का वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाये जाने पर कार्ययोजना में प्राप्त स्वीकृति के अनुसार अनुबंध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. द्वारा स्वीकृत अवधि के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. के नवीनतम मानव संसाधन मैनुअल अंतर्गत संविदा सेवा अनुबंध में दर्शाये गये प्रावधान संविदा अधिकारी/कर्मचारी पर लागू रहेंगे। एन.एच.एम. म.प्र. अंतर्गत संविदा सेवा अनुबंध में दर्शाये गये दायित्वों का निर्वहन अनिवार्य होगा।

(प्रियंका दास)
मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./एन.एच.एम./शिशु स्वास्थ्य पोषण/2024/3467 भोपाल, दिनांक 26/6/2024

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ :–

1. अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, सह सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, एन.एच.एम. भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. संचालक, वित्त, एन.एच.एम. भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. निदेशक, एम्स भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।
7. विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग, एम्स भोपाल, मध्यप्रदेश।
8. उप संचालक, मानव संसाधन/एच.एम.आई.एस./योजना/शिशु स्वास्थ्य पोषण, एन.एच.एम., भोपाल मध्यप्रदेश।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि वे उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेजों का सत्यपान कर अनुबंध निष्पादित करें।
10. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम., जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
मध्यप्रदेश